कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES

Rs. 20/- का टिकिट चस्पा नहीं।

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0 प्र0

प्र0क0– निगरानी – 3078/2018/ गुना / भू.रा

मनमोहन पुत्र देवीलाल पंत

निवासी ग्राम वांसखेडी तहसील व जिला

गुना म0 प्र0

– रेस्पोडेन्ट/निगरानीकर्ता

श्री विनोद ... द्वारा आज दि. 18-5-018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25-5-18 नियत।

रीडर कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 18-5-18

बनाम

1– कमलावाई पत्नि स्व0 रामचरण पंत

नि0ग्राम– वांसखेडी तह0 व जिला गुना

–मूल अपीलांट/प्रतिनिगरानीकर्ता

2– चम्पालाल पुत्र देवीलाल पंत

3– हेमराज पुत्र देवीलाल पंत

4– लख्मीनाराण पुत्र देवीलाल पंत

5– श्याम बाबू पुत्र देवीलाल पंत

6– नन्ही बाई पुत्री देवीलाल पंत

समस्त निवासी ग्राम वांसखेडी तहसील व

जिला गुना म0 प्र0

– तरतीवी रेस्पो0/प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व अन्तरिम आदेश दिनांक 09/03/2018 पारित द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुना म0 प्र0, आधीन प्रकरण क0 34 अपील/2016–17

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3078/18/गुना/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी गुना के आदेश दिनांक 9-3-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये अपील प्रचलन योग्य माना है कि न्यायिक दृष्टि से प्रकरण क्रमांक 246/अ-6/15-16 आदेश दिनांक 23-12-16 अपील योग्य आदेश है अतः उन्हें इसकी अपील सुनने का अधिकार है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष वैधानिक रूप से उचित है अतःइस परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	